

बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक नवम्बर, 2014

पत्र संख्या-1/एल01-10-08/2014 गृ0आ0 / श्री जेड0एच0 खान, भा0पु0से0, पुलिस उप-महानिरीक्षक (वितंतु एवं तकनीकी सेवाएँ), बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 05.06.2014 से 19.06.2014 तक कुल 15 (पन्द्रह) दिनों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। साथ ही श्री खान को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम 12 एवं 13 के अन्तर्गत दिनांक 20.06.2014 से 03.09.2014 तक 152 (एक सौ बावन) दिनों के अर्द्धवैतनिक अवकाश को पूर्ण रूप से रूपांतरित करते हुए कुल 76 (छिहत्तर) दिनों के रूपांतरित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/-

(कौशलेन्द्र पाठक)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल01-10-08/2014 गृ0आ0 /पटना, दिनांक नवम्बर, 2014

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल01-10-08/2014 गृ0आ0 /पटना, दिनांक नवम्बर, 2014

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल01-10-08/2014 गृ0आ0 9368 /पटना, दिनांक 10-नवम्बर, 2014

प्रतिलिपि:-अवर सचिव (पुलिस) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/ श्री जेड0एच0 खान, भा0पु0से0, तत्कालीन पुलिस उप-महानिरीक्षक (वितंतु एवं तकनीकी सेवाएँ), बिहार, पटना सम्प्रति पुलिस उप-महानिरीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना/ आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

h0/- 21/11/2014